(18)

संख्या–250 बीपी/35–1/2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 07 अगस्त, 2014

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत सिंचाई परियोजना की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन शासनादेश संख्या–47 बीपी /35–1–2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 के माध्यम से सिंचाई से सम्बंधित **चिल्लीमल पम्प नहर परियोजना,** लागत रू. 69.44 करोड़ (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू 50.465 करोड़+राज्यांश रू 18.975 करोड़) में से ए.सी.ए. अंश रू 50.465 करोड़ पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 10.00 करोड की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग वर्ष 2013–14 में पूर्ण धनराशि का व्यय हुआ है। एतद्द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय हुई धनराशि को समायोजित करते हुए रू 6.65 करोड़ (रूपये छः करोड़ पैसठ लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1– संदर्भित शासनादेश दिनांक 4 मार्च, 2014 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव, नियोजन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2– इस शासनादेश से उक्त कार्यो हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि का आवंटन किया गया है। कार्यो को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
3– राज्यांश के रूप में अपेक्षित धनराशि विभाग द्वारा समन्वय करते हुए जुटाई जायेगी।
4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव, नियोजन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30

जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व सिंचाई विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

7– कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेगें।

2– स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट के अनुदान संख्या–40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष–4575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02–पिछड़े क्षेत्र–800–अन्य व्यय–04–बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं–84–चिल्लीमल पम्प नहर परियोजना–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–1–2457/दस–2014–231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–2100 बीपी(1)/35–1–2014 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2– महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, सिंचाई/लघु सिंचाई/भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग ।
4– प्रमुख सचिव, वित्त।
5– निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6– मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7– जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8– मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
9– कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट/ लखनऊ।
10– गार्ड फाईल।
11– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5
12– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/ महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।